न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 29/2022

प्रार्थी–

खीयाराम पुत्र बांकाराम जाति जाट निवासी मौखाब कलां खुर्द तहसील शिव, जिला बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. भगवानाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मौखाब कलां खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कलां, जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.2019 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत मौखाब कलां द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बालेरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.2019 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं [illegible] के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 [illegible] जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के पिता बांकाराम पुत्र अचलाराम का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत मौखाब कलां आबादी भूमि में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड का नाप पूर्व पश्चिम 45 फीट एवं उतर दक्षिण 30 फीट है तथा पडोस पूर्व–भूराराम पुत्र हीराराम, पश्चिम–मौखाब से भीयाड़ सड़क, उतर–तुलसा पुत्र अचला, दक्षिण--नीम्बला से काश्मीर तक सड़क का विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 05.01.2012 को ग्राम पंचायत मौखाब कलां द्वारा जारी किया गया था। विप्रार्थी संख्या 01 भगवानाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट द्वारा एक भूखण्ड जिसका नाम पूर्व पश्चिम–40 फीट, उतर दक्षिण–60 फीट एवं पडोस पूर्व–17 फीट का रास्ता, पश्चिम–आबादी व दल्लुदेवी का भूखण्ड, उतर–15 फीट का रास्ता, दक्षिण--अणसीदेवी का पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.2019 को फर्जी तौर से जारी करवाया गया है। उक्त नाप व पडोस के भूखण्ड का ग्राम पंचायत मौखाब कलां द्वारा कोई विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 19.09.2019 को जारी नहीं किया गया न ही पट्टे जारी करने की पत्रावली कायम हुई है। उक्त पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच एवं वार्ड पंचों के कुटरचित हस्ताक्षर है। यह पट्टा पश्चातवर्ती जारी किया गया है जो प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे के भूखण्ड को विप्रार्थी संख्या 01 सम्मिलित करते हुए फर्जी पट्टे की आड़ में प्रार्थी के भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। आलौच्य पट्टा में उल्लेखित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही आज भी है, ऐसे में बिना कब्जे के जारी किया गया पट्टा विलेख निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कुटरचित हस्ताक्षर कर जारी किया गया जिसमें रसीद बुक पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं प्रस्ताव में ग्राम पंचायत की कुटरचित हस्ताक्षर एवं अप्रार्थी के कब्जे के अभाव में पारित किया गया जो आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.2019 निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक भूखण्ड बनाप 40X60 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवस्थित है जिसके पड़ौस में उत्तर में 15 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिण में अणसी देवी / हीरराम, पूर्व में 17 फीट आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में दलु देवी पत्नि चेतनराम है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 करीब 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा जारी करवाने में विधि अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्वशुदा परिसर में हक–हिस्सा हथियाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित तथ्यों में कहीं पर भी प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा उपपंजीयक शिव के कार्यालय में भी पंजीबद्ध है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा इस कारण विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र मिथ्या, निराधार, गलत एवं विधिविरूद्ध तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पंचायत नियम 157 के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक रहवासी कब्जे को विनियमितीकरण का प्रावधान रखा गया है जबकि विप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा आवेदन पत्र में 30 वर्ष का कब्जा होना बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के गलत रूप से बताया है इसके साथ ही आवेदन मे जो शपथ–पत्र पेश किया है उसमें 30 वर्ष का कब्जा होना वर्णित नहीं किया गया है। विप्रार्थी संख्या 01 स्वयं की उम्र 40 वर्ष बताई गई है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टा विलख निरस्त करने के काबिज है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट किया कि दिनांक 12.07.2012 को विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

01 सहित अन्य 14 व्यक्तियों ने मिलकर प्रार्थी व उसके परिवार के साथ मारपीट की गई तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। जिसके संबंध में पुलिस थाना शिव में एफ.आई.आर. संख्या 106/2012 धारा 143, 147, 323, 379 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज किया गया एवं बाद तफतीश उक्त एफ.आई.आर. मे वर्णित मुल्जिमानों का चालान पेश किया गया जो प्रकरण विचाराधीन है। उक्त फोजदारी प्रकरण एवं तहसीलदार शिव की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होना प्रकट किया है। विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच एवं वार्ड पंचों के कुटरचित हस्ताक्षर है। यह पट्टा पश्चातवर्ती जारी किया गया है जो प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे के भूखण्ड को विप्रार्थी संख्या 01 सम्मिलित करते हुए फर्जी पट्टे की आड़ मे प्रार्थी के भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। विलेख (पट्टे) में आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर भी ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है तथा विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 19.09.2019 पर ग्राम सेवक एवं सरपंच के हस्ताक्षर फर्जी है ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टा विलेख निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक भूखण्ड बनाप 40X60 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवस्थित है जिसके पड़ौस में उत्तर में 15 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिण में अणसी देवी/हीरराम, पूर्व में 17 फीट आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में दलु देवी पत्नि चेतनराम है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 करीब 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा जारी करवाने में विधि अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्वशुदा भूखण्ड में हक–हिस्सा हथियाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित रूप से कब्जे के संबंध में प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा उपपंजीयक शिव के कार्यालय में भी पंजीबद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा इस कारण विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र मिथ्या, निराधार, गलत एवं विधिविरूद्ध तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत मौखाब कलां के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 50 वर्षों से कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 (1) में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट लिखा है तथा भूखण्ड पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में संस्थित आदेशिका सूची दिनांक 20.07.2019 मे आवेदित स्थल आबादी भूमि मे होने की हल्का पटवारी रिपोर्ट पेश होना अंकित किया जबकि पत्रावली मे उपलब्ध हल्का पटवारी रिपोर्ट में कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है। स्थल निरीक्षण की मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी के कब्जा व निर्माण के संबंध में कोई विशिष्टियां अंकित नहीं हैं। इसके पश्चात सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस में न ही दिनांक न ही नम्बर अंकित किये गये है तथा उक्त नोटिस संबंधित स्थल एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जाने विवरण अंकित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस का सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशन नहीं किया गया है बल्कि औपचारिक रूप से जारी कर शामिल पत्रावली रखा गया। पत्रावली में नियमानुसार प्रार्थना–पत्र व मौका निरीक्षण शुल्क जमा कराने की कोई रसीद व रसीद संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। [illegible]दाशिका दिनांक 05.09.2019 में विकास शुल्क रूपये 20[illegible] पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है किन्तु उक्त राशि [illegible] होने का भी कोई उल्लेख पत्रावली में अंकित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कलां द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.2019 अपूर्ण एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत मौखाब कलां द्वारा अनियमित, अपूर्ण कार्यवाही के साथ–साथ बिना स्वामित्व दस्तावेजों की जांच के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.09.2019 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत मौखाब कलां द्वारा बैठक दिनांक 05.09.2019 में पारित प्रस्ताव सं. 1 एवं उसके अनुसरण में आलौच्य पट्टा जारी करने की गई कार्यवाही एवं पट्टा सं. 25 दिनांक 19.09.2019 को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested